

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 423 / 2025

राम प्रकाश चौधरी

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री यशपाल खिलेरी, श्री दिलीप बारूपाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जे.एल.एन. राजकीय जिला चिकित्सालय, नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा रामप्रकाश बेनीवाल का स्थानान्तरण जे.एल.एन. नागौर से मेडीकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी का नाम रामप्रकाश चौधरी है तथा इसी नाम से जाना जाता है एवं सम्बंधित समस्त दस्तावेजात मय नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक-3 एवं 4) में अपीलार्थी का नाम रामप्रकाश चौधरी ही अंकित है। प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में अपने आलौच्य आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी को रामप्रकाश बेनीवाल मानते हुए जे.एल.एन. जिला चिकित्सालय, नागौर से कार्यमुक्त कर दिया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को नर्सिंग अधीक्षक द्वारा उनके मोबाईल फोन के वाट्सएप पर प्रेषित की गई है एवं व्यक्तिशः अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी के स्थान अन्य

किसी भी कार्मिक का अभी तक पदस्थापन नहीं किया गया है। चूंकि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन जे.एल.एन. राजकीय जिला चिकित्सालय, नागौर में है तथा आलौच्य आदेश में जे.एल.एन. नागौर अंकित है साथ ही बीकानेर में स्थित मेडीकल कॉलेज का नाम सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज, बीकानेर है, इस प्रकार उक्त आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में अनेक संशय है एवं विभाग द्वारा बिना विवेक का उपयोग किये उक्त आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं है फिर भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जोकि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है, ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थल से कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थागण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्था विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्था विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक-1 एवं 2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य